पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 17322

==========

संतोष कुमार झा उर्फ संतोष झा पिता रंजीत झा, निवासी ग्राम-हिनी, वार्ड नंबर 5,थाना-कुशेश्वर अस्थान दरभंगा, बिहार।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मुख्य सचिव,बिहार सरकार,पटना।
3. प्रधान सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, बिहार सरकार,पटना।
4. अध्यक्ष,बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड,विद्यापति मार्ग,पटना।
5. प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा प्रमंडल ,दरभंगा।
6. जिला दंडाधिकारी-सह- समाहर्ता,दरभंगा।
7. अपर समाहर्ता,दरभंगा।
8. अनुमंडल दंडाधिकारी, कुशेश्वर अस्थान, दरभंगा।
9. उप समाहर्ता भूमि सुधार, कुशेश्वर,दरभंगा।
10. अंचल अधिकारी, कुशेश्वर स्थान,जिला- दरभंगा।
11. बाबू कांत झा, पिता गोपाल झा, निवासी ग्राम-धेबौलिया, थाना- कुशेश्वर स्थान,जिला-दरभंगा।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री पंकज कुमार झा,अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए	:	श्री प्रशांत प्रताप (जी पी 2)
बोर्ड के लिए	:	श्री गण्पति त्रिवेदी वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 11 के लिए	:	श्री मदन मोहन, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएँ/नियम:

• बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32

संदर्भित मामले:

• महंत परमानंद साहेब उर्फ आचार्य महंत परमानंद दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 24051/2019)

रिट याचिका - बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा जारी मेमो को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत बोर्ड ने एक मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की।

निर्णय - यह आश्चर्यजनक है कि हजारों मठों/मंदिरों/ठाकुरबारियों का प्रबंधन करने वाले 'बोर्ड' के पास समिति के गठन के लिए कोई नियम/प्रक्रिया नहीं है, जिसने मठों/मंदिरों का प्रबंधन करने वाले स्थानीय लोगों और 'बोर्ड' में बैठे अधिकारियों को अपनी मनमानी करने का मौका दिया है। (पैरा 8)

अतः इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए:

1)किसी भी मठ/मंदिर/ठाकुरबारी में समिति के गठन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। (पैरा 12, 13, 14)
2)स्थायी समिति के गठन के एक प्रावधान के रूप में, मठ/ठाकुरबारी/मंदिर में होने वाली सभी आय/व्यय को 'ट्रस्ट बोर्ड' को हर तीन महीने में नियमित मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (पैरा 15)
3)एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एक स्थायी बैंक खाता होगा, जिसमें सभी दान जमा किए जाएंगे और खाता संयुक्त हस्ताक्षर के तहत संचालित किया जाएगा। (पैरा 16)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रॉय

मौखिक आदेश

23-07-2024 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार झा, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (इसके बाद से संक्षेप में बोर्ड) की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणपति त्रिवेदी, प्रतिवादी संख्या 11 का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री मदन मोहन और जी.पी.-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत प्रताप को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत प्रदान करने की प्रार्थना की है:

(i) अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, पटना द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 4691 दिनांक 18.01.2022 को रद्द करने के लिए एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जिसके तहत बोर्ड ने प्रतिवादी संख्या

10 को श्री बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट, दरभंगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है;

(ii) याचिकाकर्ता को श्री बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट, दरभंगा का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए उचित रिट/आदेश या निर्देश जारी करना, क्योंकि वह उक्त ट्रस्ट के हित में एक सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, लेकिन अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 10 के प्रभाव में समिति द्वारा उसके नाम की अनुशंसा नहीं की गई है;

(iii) इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, पटना द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में अनुचित, शून्य, अवैध है तथा कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है;

(iv) इस वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय यदि चाहें तो कोई अन्य उपयुक्त आदेश पारित कर सकते हैं, जो माननीय को उचित लगे।

3. 9.8.2023 को, जब मामला पहली बार उठाया गया था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री पंकज कुमार झा, जीपी-2 के विद्वान एसी और ट्रस्ट बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री गणपति त्रिवेदी के विद्वान कनिष्ठ वकील को सुना।

यह आवेदन निम्नलिखित राहतों के लिए पसंद किया गया है:

(i) अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, पटना द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 4691 दिनांक 18.01.2022 को रद्द करने के लिए

उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करना, जिसके तहत बोर्ड ने प्रतिवादी संख्या 10 को श्री बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट, दरभंगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है;

(ii) याचिकाकर्ता को श्री बाबा कुशेश्वर नाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट, दरभंगा का उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करना क्योंकि वह उक्त ट्रस्ट के हित में एक सदस्य की तरह सक्रिय रूप से काम कर रहा है लेकिन अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 10 के प्रभाव में समिति द्वारा उसका नाम अनुशंसित नहीं किया गया है;

(iii) इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, पटना द्वारा पारित आदेश विधि की दृष्टि में गलत, शून्य, अवैध है तथा कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है;

न्याय के उद्देश्य से, यह महत्वपूर्ण है कि 'ट्रस्ट बोर्ड' एक व्यापक जवाबी हलफनामा दायर करे जिसमें निम्नलिखित बातें दर्ज हों:

(i) समिति, विशेषकर स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया/कार्यविधि क्या है;

(ii) स्थायी समिति के बजाय सीमित अवधि के लिए अस्थायी समितियां क्यों गठित की जा रही हैं;

(iii) गठन के बाद ही, मनोनीत किए गए लोगों का विवरण मांगा जाता है।

याचिका के पैराग्राफवार उत्तर के अलावा, उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर भी दस्तावेजों के साथ देने होंगे।

इस बीच, प्रतिवादी संख्या 10 को दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से नोटिस जारी करें, अर्थात साधारण और पंजीकृत कवर के साथ ए/डी, जिसके लिए अपेक्षित दस्तावेज आदि एक सप्ताह की अवधि के भीतर दायर किए जाने चाहिए, अन्यथा आवेदन को बेंच के आगे संदर्भ के बिना खारिज कर दिया जाएगा।

जवाबी हलफनामा चार सप्ताह की अवधि के भीतर आ जाने दें, अंतरिम आदेश का प्रश्न अगली सुनवाई की तारीख पर तय किया जाएगा।

4. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि रिट याचिकाकर्ता द्वारा गलत क्रम संख्या अंकित करने के कारण, दो बार क्रम संख्या 1 मौजूद है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 11 को रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में उल्लेखित किया गया है।

5. अब लगभग एक साल बाद मामला पूरा हो गया है और इस न्यायालय के समक्ष फिर से प्रस्तुत किया गया है। जवाबी हलफनामा अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और उस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय भारी लागत लगाना चाहता था, लेकिन 'बोर्ड' का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह प्रक्रिया में है और कुछ ही समय में दायर किया जाएगा। उनके शब्दों को स्वीकार करते हुए और विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रति लेने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि पैरा-6 और 7 में कहा गया है कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1956 (अब से संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत समिति के गठन के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

6. प्रति-शपथपत्र के पैरा-6 और 7 को शामिल करना आवश्यक है:

6. यह कहा गया है कि बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32 के अंतर्गत न्यास समिति गठित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।

7. बोर्ड के कार्यालय में प्रचलित प्रथा के अनुसार, जब भी ट्रस्ट समिति के गठन की आवश्यकता होती है, बोर्ड का अध्यक्ष स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र जारी करता है, जिसके अंतर्गत धार्मिक ट्रस्ट स्थित है, ताकि ट्रस्ट में रुचि रखने वाले 11 व्यक्तियों के नाम भेजे जा सकें, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और साथ ही ट्रस्ट और उसकी संपत्तियों पर उनका कोई प्रतिकूल हित नहीं है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या 'अधिनियम' के तहत निर्धारित किसी विशिष्ट प्रक्रिया के अभाव में, 'बोर्ड' ने राज्य भर में स्थायी समिति के गठन के लिए नियम और प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वयं कोई पहल की है, उत्तर नकारात्मक है।

8. यह आश्चर्य की बात है कि हजारों से अधिक मठों/मंदिरों/ठाकुरबाड़ियों का संचालन करने वाले 'बोर्ड' के पास समिति के गठन के लिए कोई नियम/प्रक्रिया नहीं है, जिससे मठों/मंदिरों का संचालन करने वाले स्थानीय लोगों और 'बोर्ड' में बैठे अधिकारियों को अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिल गया है।

9. अब समय आ गया है कि कुछ दिशा-निर्देश/नियम बनाए जाएं जो 'बोर्ड' के साथ पंजीकृत प्रत्येक मठ/मंदिर पर लागू हों, जब तक कि स्थायी समिति के गठन के लिए नियमों और प्रक्रिया को शामिल करते हुए आवश्यक संशोधन नहीं किए जाते।

10. **महंत परमानंद साहेब उर्फ आचार्य महंत परमानंद दास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 24051/2019)** एवं समरूप मामलों में इस न्यायालय ने

7.8.2023 को मामले का निपटारा कर दिया था और उक्त आदेश के पैरा 12 से 15 को सम्मिलित करना उचित होगा:

> *12. इस न्यायालय ने देखा है कि ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष किस तरह से काम कर रहे हैं और उस मामले में, जब वह हर बार अपनी मर्जी से समिति को घुमाते रहते हैं, हर बार जब वह अपनी मर्जी से सीमित अवधि के लिए अस्थायी समिति गठित करने का फैसला करते हैं, तो यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को उचित न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने का निर्देश नहीं दे सकता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश मामलों में अध्यक्ष अकेले ही आदेश पारित करते हैं। इसके अलावा, अस्थायी समितियों के गठन के आदेश हैं और कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं है, इसलिए उक्त दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।*
>
> *13. ट्रस्ट बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित मठ के स्थायी समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए, कलेक्टर, पटना और अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी से नाम मांगे, मठ स्थित मोहल्ले/क्षेत्र/समाचार पत्र में आम सूचना जारी करे ताकि ऐसे प्रतिष्ठित एवं प्रतिष्ठित नागरिकों के नाम, जिनका कोई आपराधिक इतिहास न हो, उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं तथा कलेक्टर, पटना की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की जाए। ट्रस्ट बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति या जिसके विरुद्ध मठ से वित्तीय गबन का आरोप लगाया गया हो,*

स्थायी समिति का हिस्सा न हो। इस प्रकार गठित समिति को बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित किया जाना चाहिए।

14. उक्त कार्य आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है। ट्रस्ट बोर्ड द्वारा पारित दिनांक 23.09.2019 (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 24051/2019) और दिनांक 11.05.2022 (सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9415/2022) के आदेश स्थगित रहेंगे तथा स्थायी समिति के गठन से संबंधित अंतिम आदेश के साथ विलय हो जाएंगे।

15. दोनों रिट याचिकाएं उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निपटाई जाती हैं।

11. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, अब समय आ गया है कि इस निर्देश को राज्य भर में 'बोर्ड' द्वारा किए जाने वाले स्थायी समिति के आगे के गठन के लिए विस्तारित किया जाए। यह निर्देश इस तथ्य की पृष्ठभूमि में दिया जा रहा है कि 'बोर्ड' ने वर्तमान मामले में अपने जवाबी हलफनामे में दर्ज किया है कि उनके पास 'अधिनियम' के तहत निर्धारित कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्यवाही के दौरान, यह सूचित किया गया था कि जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

12. तदनुसार यह न्यायालय निर्देश देता है कि अब से किसी भी मठ/मंदिर/ठाकुरबाड़ी में समिति के गठन के लिए, जब ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जिले के समाहर्ता से क्षेत्र के ऐसे प्रमुख नागरिकों के नाम उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो समाहर्ता के निर्देश/पर्यवेक्षण में अनुमंडल पदाधिकारी उस इलाके में आम सूचना जारी करेंगे तथा उसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराएंगे (*जिसका*

खर्च संबंधित मठ/मंदिर/ठाकुरबाड़ी को वहन करना होगा) जिसमें मठ/मंदिर/ठाकुरबाड़ी की स्थायी समिति के गठन के लिए आपराधिक इतिहास नहीं रखने वाले प्रमुख नागरिकों से उनके संबंधित नाम प्रस्तुत करने के लिए आवेदन/अनुरोध आमंत्रित किया जाएगा।

13. आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-विभागीय अधिकारी नामों की सूची तैयार करेंगे, पुलिस स्टेशन से उनके आपराधिक इतिहास और उनके बारे में अन्य जानकारी की जाँच करेंगे और उसके बाद कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जिले के कलेक्टर सूची को ट्रस्ट बोर्ड को भेजेंगे। यह प्रक्रिया छह सप्ताह में पूरी की जानी है।

14. तत्पश्चात 'बोर्ड' अपनी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे तथा जिसमें 'ट्रस्ट बोर्ड' के सदस्य उपस्थित होंगे, आवश्यक निर्णय लेंगे। उप-मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने की 'बोर्ड' द्वारा अपनाई गई परंपरा तब तक जारी रहेगी, जब तक स्थायी समिति का अध्यक्ष उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी होगा, जहां मठ/ठाकुरबाड़ी/मंदिर स्थित है।

15. स्थायी समिति के गठन में एक शर्त यह होगी कि मठ/ठाकुरबाड़ी/मंदिर में होने वाली सभी आय/व्यय को हर तीन महीने में नियमित मूल्यांकन के लिए 'ट्रस्ट बोर्ड' के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

16. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक स्थायी बैंक खाता होगा, जिसमें सभी दान जमा किए जाएंगे और खाता संयुक्त हस्ताक्षरों के तहत संचालित किया जाएगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी वित्तीय लेन-देन केवल तीन पदाधिकारियों अर्थात अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों के माध्यम से ही किए जाएंगे। यदि अध्यक्ष बैंक खाते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं है, तो बैंक खाते का विवरण सभी आय/व्यय के साथ हर महीने उपमंडल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

18. स्थायी समिति के गठन के लिए आवश्यक अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा तभी जारी की जाएगी जब उसे ट्रस्ट बोर्ड के सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा।

19. ऐसी सभी अस्थायी/अंतरिम समितियाँ, जो वर्तमान में राज्यों में कार्यरत हैं, को स्थायी समितियों के गठन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए तथा यह आशा की जाती है कि 31 दिसम्बर, 2024 तक बिहार राज्य में स्थायी समितियाँ अस्तित्व में आ जाएँगी तथा 1 जनवरी, 2025 तक यह कार्य करना प्रारंभ कर देंगी।

20. 'ट्रस्ट बोर्ड' अगले दो सप्ताह में राज्य भर के उन सभी जिलों के कलेक्टरों को औपचारिक अनुरोध जारी करेगा, जहां मंदिर/मठ/ठाकुरबाड़ी मौजूद हैं, जिसमें छह सप्ताह में सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।

21. जहां तक याचिका का सवाल है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है और मामला लंबे समय तक लंबित रहा, यानी दिसंबर, 2022 में याचिका दायर की गई, जिसके बाद इस पर पहले 9 अगस्त, 2023 को और अब 23.07.2024 को सुनवाई होगी।

22. मामला दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान मंदिर से जुड़ा है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि प्रतिवादी संख्या 11 (गलती से प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में अंकित) जो वास्तव में समिति का हिस्सा नहीं था, उपाध्यक्ष अमर नाथ झा की मृत्यु के बाद खुद को इसमें शामिल करवा लिया। उन्होंने आगे दलील दी कि उपाध्यक्ष होने के बावजूद, वह वास्तव में केवल अपने फायदे के लिए सभी वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों का आनंद ले रहा है। इससे मंदिर के विकास पर बहुत असर पड़ा है।

23. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 11 का आपराधिक इतिहास है और संबंधित न्यायालय ने कुशेश्वर स्थान पी.एस. प्रकरण संख्या 08/2012 के अंतर्गत दर्ज मामले में उसके विरुद्ध संज्ञान लिया है और इस प्रकार 'बोर्ड' ने स्वयं अपने

दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके अनुसार आपराधिक इतिहास वाला कोई भी व्यक्ति मंदिर/मठ/ठाकुरबाड़ी का सदस्य नहीं हो सकता।

24. उपाध्यक्ष बाबू कांत झा (प्रतिवादी संख्या 11) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मदन मोहन याचिकाकर्ता के उक्त तर्क का खंडन करते हैं और कहते हैं कि वह/उनका परिवार मंदिर की बेहतरी के लिए सभी कदम उठा रहा है। हालांकि, उनके पास याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए इस आरोप का कोई जवाब नहीं है कि बाबू कांत झा आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।

25. ट्रस्ट बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वित्तीय लेनदेन पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक उक्त क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी है। यदि सचिव को दूसरा वित्तीय अधिकार दिया जाता है जैसा कि पहले ही पूर्वोक्त आदेश में कहा गया है, तो यह समिति के विकास के लिए बेहतर होगा।

26. कुशेश्वर स्थान मंदिर, दरभंगा एक महत्वपूर्ण मंदिर है और अब चूंकि सावन महीना आ गया है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए जब लोग मंदिर में आते हैं, तो इस पर उचित ध्यान दिया जाए और इसका ध्यान रखा जाए ताकि भक्तों को पूजा-अर्चना करने में कोई परेशानी न हो।

27. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय उप-विभागीय अधिकारी, बिरौल, दरभंगा को, जो उक्त मंदिर के अध्यक्ष हैं, तत्काल कदम उठाने का निर्देश देता है और कल (24.7.2024) से, 5 वें सोमवार को 'सावन' महीना समाप्त होने तक मंदिर पर उनका पूर्ण नियंत्रण रहेगा।

28. बैंक (जहां मंदिर का खाता है) को भी कल ही गार्ड परिवर्तन के बारे में सूचित कर दिया जाएगा और बैंक खाते के दो हस्ताक्षरकर्ता (स्थायी समिति के गठन तक) अध्यक्ष और सचिव होंगे।

29. याचिकाकर्ता उपाध्यक्ष होने के नाते, उनकी भूमिका है और वे मंदिर की बेहतरी के लिए सचिव और अन्य सदस्यों को मार्गदर्शन देने वाले सलाहकार के रूप में हमेशा काम कर सकते हैं।

30. जहां तक समिति का संबंध है, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा सूचित किया गया है कि यह 4 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रही है।

31. इस पृष्ठभूमि में, जब सामान्य निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तो पूर्वोक्त अवलोकन के आलोक में तत्काल कदम उठाए जाएं और ट्रस्ट बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि 5 नवंबर, 2024 को एक स्थायी समिति (कोई अन्य अस्थायी/अंतरिम समिति नहीं) अस्तित्व में आए।

32. यदि वर्तमान समिति का कार्यकाल 04.11.2024 को समाप्त होने के बाद कोई अस्थायी/अंतरिम समिति गठित की जाती है, और/या वर्तमान समिति को विस्तार मिलता है, तो इसे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

33. चूंकि आदेश खुली अदालत में पारित किया गया है, इसलिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणपति त्रिवेदी ने कहा कि वे इस आदेश को आज ही उप-मंडल अधिकारी, बिरौल, दरभंगा के कार्यालय को प्रेषित कर देंगे।

34. श्री प्रशांत प्रताप, विद्वान जी.पी.-2 ने निवेदन किया है कि वे वर्तमान आदेश के बारे में एस.डी.ओ., बिरौल को भी सूचित करेंगे।

35. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

रवि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।